भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 983

जिसका उत्तर 27 जून, 2019 को दिया जाना है।

.....

भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन

983. श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ हिना विजयकुमार गावीत:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ सुभाष रामराव भामरे:
श्री दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूजल के अत्यधिक दोहन से देश के विभिन्न क्षेत्रों में डार्क ज़ोन बन गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में कार्यरत अवैध खनिज पानी/शीतल पेय बॉटलिंग संयंत्रों की पहचान की है और उनके खिलाफ कारवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में गिरते भू-जल स्तर को रोकने के लिए सामुदायिक भागीदारी के साथ भूमिगत जल संवहनीय प्रबंधन के लिए अटल भू-जल योजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए चिह्नित, अति-दोहित और जल संकटग्रस्त क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के लिए केंद्र सरकार और विश्व बैंक के बीच वित्तपोषण पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(च) इस योजना के शुरू होने से लेकर अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयी हैं; और

(छ) स्थिरता, वृद्धि और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) जी हां। अति-दोहित ब्लॉकों/तालुकों/फ़िरकों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए भूजल की निकासी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र केंद्रीय भूजल प्राधिकरण/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार और मौजूदा शासनादेश के अनुसार जारी किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षा अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, भूजल की अवैध निकासी के लिए उपयुक्त कारवाई शुरू करने के लिए नामोद्दिष्ट अधिकारियों को अधिकार दिया गया है।

(□) □□(□) सामुदायिक सहभागिता के साथ भूजल के स्थायी प्रबंधन हेतु 50 प्रतिशत विश्व बैंक निधि □□ □□□ 6000 करोड़ रूपए की □□□ □□□ □□□□ (□□□□□□□) □□□ □□ स्कीम □□ प्रस्ताव □□□ □□□ है। स्कीम के कार्यान्वयन हेतु अभिज्ञात अति-दोहित और जल की कमी □□□क्षेत्र □□□□□, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। स्कीम में स्थाई □-जल प्रबंधन से संबंधि विभिन्न कार्यकलापों जै□□'जल प्रयोक्ता संघों' का निर्माण, भू-□ जल आंकड़ों की मॉनीटरिंग और प्रसार करना, जल बजटिंग, ग्राम पंचायत-□□ जल सुरक्षा योजनाओं को तैयार करना और कार्यान्वयन □□□ □□□सी कार्यकलापों में समुदायों की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना की गई है। सरकार स्कीम पर विचार कर रही है

(□) जल एक राज्य का विषय □□□□□□□□□, भूजल के संरक्षण और प्रबंधन के प्रयास मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। फिर भी, □□ की कमी को नियंत्रित करने और वर्षा ज□ □□□□/संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित यूआर□□ □□ □□

http://mowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Jun2019.pdf.

*****

अनुलग्नक

"भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन" के विषय में लोक सभा में दिनांक 27.06.2019 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 983 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भारत में ब्लॉक/□□□/तालुकों का वर्गीकरण
(2013)

क्र.□□	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का □□□	आकलित इकाईयों की कुल संख्या	सुरक्षित		□□□-क्रिटिकल		क्रिटिकल		अति-दोहित		□□□□□	
			□□	%	□□	%	□□	%	□□	%	□□	%
	राज्य											
1	आंध्र प्रदेश	670	497	74	54	8	17	3	61	9	41	6
2	अरुणाचल प्रदेश	11	11	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	□□□	27	27	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4	बिहार	534	520	97	14	3	0	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	146	125	86	18	12	2	1	1	1	0	0
6	दिल्ली	27	5	19	7	26	0	0	15	56	0	0
7	□□□	12	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0
8	□□□□□	223	175	78	9	4	6	3	23	10	10	4
9	हरियाणा	119	30	25	11	9	14	12	64	54	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	8	6	75	0	0	1	13	1	13	0	0
11	जम्मू और कश्मीर	22	22	100	0	0	0	0	0	0	0	0
12	□□□□□	260	244	94	10	4	2	1	4	2	0	0
13	कर्नाटक	176	98	56	21	12	14	8	43	24	0	0
14	□□□	152	131	86	18	12	2	1	1	1	0	0
15	मध्य प्रदे	313	228	73	58	19	2	1	25	8	0	0
16	महाराष्ट्र	353	324	92	19	5	1	0	9	3	0	0
17	मणिपुर	9	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0
18	□□□□□	11	11	100	0	0	0	0	0	0	0	0
19	मिजोरम	22	22	100	0	0	0	0	0	0	0	0
20	नागालैंड	11	11	100	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ओडिशा	314	308	98	0	0	0	0	0	0	6	2
22	□□□□	138	26	19	3	2	4	3	105	76	0	0
23	राजस्थान	248	44	18	28	11	9	4	164	66	3	1
24	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	1139	429	38	212	19	105	9	358	31	35	3
26	□□□□□□	443	311	70	74	17	12	3	46	10	0	0
27	त्रिपुरा	39	39	100	0	0	0	0	0	0	0	0
28	उत्तर प्रदेश	820	603	74	45	5	59	7	113	14	0	0
29	उत्तराखंड	18	16	89	1	6	1	6	0	0	0	0
30	पश्चिम बंगाल	268	191	71	76	28	1	0	0	0	0	0
	□□ **(राज्य)**	**6533**	**4475**	**68**	**678**	**10**	**252**	**4**	**1033**	**16**	**95**	**1**
	संघ राज्य क्षेत्र											
1	अंडमान और निकोबार	34	34	100	0	0	0	0	0	0	0	0
2	□□□□□	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0
3	दादरा और नगर हवेली	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4	दमन और दीव	2	1	50	0	0	1	50	0	0	0	0
5	लक्षद्वीप	9	6	67	3	33	0	0	0	0	0	0
6	□दुच्चेरी	4	2	50	0	0	0	0	1	25	1	25
	□□ **(संघ राज्य क्षेत्र)**	**51**	**45**	**88**	**3**	**6**	**1**	**2**	**1**	**2**	**1**	**2**
	□□□ □□□	**6584**	**4520**	**69**	**681**	**10**	**253**	**4**	**1034**	**16**	**96**	**1**